

३१/१२/२२

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वाणी उपस्थित हैं। अधिवक्ता  
वादी की दिनांक २०/१२/२०२२ से ३१/१२/२२ तक न भवसर  
देने के उपरान्त भी प्रतिवादी गणों के नाम नोटिस तलबाना  
भरकर प्रस्तुत नहीं किया है। अधिवक्ता वाणी को इतने अग्रसर  
देने के उपरान्त भी नोटिस तलबाना भरकर पेश नहीं किया  
है एवं न ही नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं करने का कोई  
सुसूचित कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।  
जबकि शिवित प्रक्रिया संहिता के अर्द्ध ७ नियम ५  
अनुसार निर्धारित अवधि के तहत नोटिस तलबाना पेश  
करने में असफल रहने पर वरिष्ठ खारिज प्रीग्य दौनिका  
जाबदान है। अतः वरिष्ठ आदेश ७ नियम ५ एपे  
के तहत अर्द्ध फालना / अर्द्ध तजमील में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैलल शमार है। नम्बर से कम  
धरकर शखिल वफ्तार है।

SDO, BHINAI